भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2058

गुरूवार, 12 दिसम्बर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास

2058 श्रीमती संगीता यादवः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले पांच वर्षो में मंत्रालय द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई रोड मैप/कार्य योजना तैयार की है;

(ग) क्या मंत्रालय 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में उनके संभावित योगदान के आधार पर नई नीतियों/योजनाओं और विधायी प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): यद्यपि, पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है, पर्यटन मंत्रालय ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने और 2047 तक पर्यटन क्षेत्र में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:-

• पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन' और 'पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता' की योजनाओं के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

• गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त गंतव्य विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0) के रूप में नवीकृत किया गया है।

• पर्यटन अनुभव को बढ़ाने और पर्यटन स्थलों को स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त स्थलों के रूप में बदलने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप योजना के रूप में 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए। उपरोक्त योजना के तहत विकास के लिए 4 श्रेणियों में 42 गंतव्यों का चयन किया गया है, अर्थात् (i) आध्यात्मिक पर्यटन, (ii) संस्कृति और विरासत, (iii) जीवंत ग्राम कार्यक्रम, (iv) इकोटूरिज्म और अमृत धरोहर स्थल।

• वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की पूंजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वैश्विक पैमाने पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास के लिए ऑपरेशनल दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारत सरकार ने देश भर के 23 राज्यों में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

• पर्यटन मंत्रालय अपनी आतिथ्य सत्कार (डीपीपीएच) योजना सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार के तहत मेलों/त्योहारों और पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

• पर्यटन मंत्रालय उत्सवों, सोशल मीडिया और अभियानों सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देता है।

• अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से देश में पर्यटन स्थलों की जानकारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने नवीकृत अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल (www.incredibleindia.gov.in) पर अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है। अतुल्य भारत कंटेंट हब का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और न्यूज़लेटर्स का एक व्यापक डिजिटल भंडार बनाना है, जिसे दुनिया भर में उद्योग के हितधारकों (ट्रैवल मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट) द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और जो उनके सभी विपणन और प्रचार संबंधी प्रयासों में अतुल्य भारत के संवर्धन के लिए आवश्यक है।

• मंत्रालय बेहतर स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

• देश भर के पर्यटक स्थलों पर स्थानीय, प्रशिक्षित पेशेवरों का एक पूल उपलब्ध कराकर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम - एक अखिल भारतीय ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

• पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी के नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल शुरू की है।

• नौ उप-श्रेणियों के अंतर्गत ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो वर्तमान में 167 देशों के नागरिकों के लिए 31 नामित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 06 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए उपलब्ध है। ई-वीजा की प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है।

• पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और उच्च संभावना वाले कम ज्ञात/नए गंतव्यों तक हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समन्वय किया है और इस उद्देश्य के लिए चिह्नित 53 पर्यटन मार्गों के लिए वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) राशि साझा की है।

• पर्यटन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, रोपवे और केबल कार और विशेष रूप से प्रदर्शनी स्थल या सम्मेलन स्थल या संयुक्त रूप से दोनों के लिए 100,000 वर्ग मीटर के न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र वाले प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर की परियोजनाओं को अवसंरचना संबंधी उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

****